

०३/१२/२५

पत्रावली पेश हुई। वादी-प्रतिवादी उपरि
पीठासीन अधिकारी बैठक/कानून व्यवस्था/
भ्रमण प्रशासनिक कार्य होने से
पत्रावली दिनांक १०/१२/२५ को पेश हारें।

आज्ञा से

रीडर
उपखण्ड अधिकारी
सलूम्वर

१०/१२/२५

पत्रा. पेश हुई। उक्त मय उर्ध्व उप.। पेशोकार सरकार
तहसीलदार, सलूम्वर उपस्थित। उर्ध्व ने उर्ध्वना-का
विज्ञा कीये जागे का उर्ध्वना-का पेश कर निवेदन
कीया कि उर्ध्व उपत उर्ध्वना मे भागे कोई कार्यवाही
नहीं चलागा चाहता है एवं उर्ध्वना विज्ञा करगा
-चाहता है अतः श्रीमान् से निवेदन है कि मुझ उर्ध्व
द्वारा उर्ध्वना मय उर्ध्वना-का अन्तर्गत धारा-१३६
L.R.A.C. का विज्ञा कीये जागे का आदेश पारमाये।
जिस पर पेशोकार सरकार, तहसीलदार सलूम्वर ने
स्वीकार कीये जागे पर कोई आपत्ती नहीं होमा
जादि कीया गया।

अतः उर्ध्व के निवेदन पर उर्ध्व का उर्ध्वना-का
अन्तर्गत धारा-१३६ का इसी स्तर पर खारिज
कीया जाता है। पत्रावली कैसल बुमार लेकर दाखिल
वफतर हो।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सहायक कलक्टर : सलूम्वर
जिला सलूम्वर